179

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.के. सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1081–दो/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 16.03.2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 371/अ–19/2013–14/अपील

....

चिंतामन पुत्र श्री ग्याप्रसाद जैन
निवासी – ग्राम लडवारी,
तहसील बल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ (म0प्र0) --- आवेदक

विरूद्ध

1– लक्ष्मन सिंह तनय श्री कल्याणसिंह ठाकुर
निवासी दरयावनगर, तहसील व
जिला टीकमगढ़ (म0प्र0)
2– नोनेलाल तनय श्री धमले कुशवाह,
3– हरदास तनय श्री अजुद्धी कुशवाह,
4– किशोरी लाल तनय श्री बल्ले लोधी,
5– रामबगस तनय श्री मोती लोधी,
निवासीगण – करमासन घाट,
तहसील बल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ (म0प्र0)
6– नन्दराम तनय श्री गनेश यादव,
7– कैलाश तनय श्री जसरथ यादव,
निवासीगण – दरयावनगर, तहसील व
जिला टीकमगढ़ (म0प्र0) --- अनावेदकगण

श्री राकेश यादव, अधिवक्ता – आवेदक,
श्री सुनील सिंह जादौन, अधिवक्ता – आवेदक
श्रीमती रजनी वशिष्ठ, अधिवक्ता – अनावेदकगण

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 18/10/2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 371/अ–19/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक चिंतामन ने ग्राम करमासन घाट में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 616 रकवा 4.11 एवं सर्वे क्रमांक 625 रकवा 0.80 कुल रकवा 4.91 एकड भूमि पर व्यवस्थापन किये जाने हेतु आवेदन अतिरिक्त तहसीलदार, बल्देवगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया, जो प्रकरण क्रमांक 94/अ-19/1979-80 पर दर्ज किया जाकर आदेश दिनांक 29.02.1980 को भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये, और दिनांक 01.03.1980 को पट्टा जारी किया गया। आवेदक उक्त विवादित भूमि को पूर्णतः विकसित कर काबिज होकर कृषि कार्य कर रहा है।

3- अतिरिक्त तहसीलदार, बल्देवगढ़ के आदेश दिनांक 29.02.1980 के विरूद्ध अन्य आवेदक द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 10/2011-12 अनुविभागीय अधिकारी, बल्ददेवगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें पारित आदेश दिनांक 24.05.2012 से अपील अवधि वाहय मानकर निरस्त कर दी गयी। उसके खिलाफ किसी न्यायालय में अपील एवं निगरानी नहीं की गयी है। वह आदेश अंतिम हो गया है। आदेश दिनांक 29.02.1980 के खिलाफ द्वारा से अनुविभागीय अधिकारी, बल्ददेवगढ़ के समक्ष अपील प्रकरण क्रमांक 63/2011-12 प्रस्तुत की। जिसमें पारित आदेश दिनांक 06.03.2014 के द्वारा अपील निरस्त कर दी गई। अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आदेश दिनांक 06.03.2014 के खिलाफ अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील प्रकरण क्रमांक 371/अ-19/2013-14 प्रस्तुत की। जिसमें पारित आदेश दिनांक 16.03.2016 के द्वारा अपील स्वीकार की गयी। उक्त आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है।

4- प्रकरण में आवेदक की ओर से राकेश यादव एवं सुनील सिंह जादौन, अधिवक्तागण उपस्थित तथा अनावेदक की ओर से श्रीमती रजनी वशिष्ठ, अधिवक्ता उपस्थित हुए।

5- आवेदक अभिभाषक ने अपने तर्क में यह बताया है कि आवेदक भूमिहीन होने के आधार पर विवादित भूमि का व्यवस्थापन किये जाने हेतु

16/निग.
ने ग्राम
सर्वे

आवेदन अतिरिक्त तहसीलदार, बल्देवगढ़ के समक्ष दिया गया, जो प्रकरण क्रमांक 94/अ-19/1979-80 पर दर्ज किया जाकर दिनांक 29.02.1980 को भूमि का भूमिस्वामी अधिकार दिये गये, और पट्टा दिनांक 01.03. 1980 को जारी किया गया। आवेदक ने विकसित कर 35 वर्षो से काबिज होकर चला आ रहा है। यह भी बताया गया कि आवेदक के व्यवस्थापन के खिलाफ अनुविभागीय अधिकारी, बल्ददेवगढ़ के .समक्ष अपील प्रकरण क्रमांक 10/2011-12 प्रस्तुत की गयी, पारित आदेश दिनांक 24.05.2012 के द्वारा अवधि के बिन्दु पर निरस्त कर दी गयी। इसके अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा आवेदक के व्यवस्थापन के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी, बल्ददेवगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जो अवधि के बिन्दु पर निरस्त कर दी गयी। उक्त पारित आदेशों के खिलाफ आज तक कोई अपील एवं निगरानी प्रस्तुत नहीं की गयी, जो आदेश अंतिम हो गये है। जो रेसजुडीकेटा का सिद्धांत लागू होता है। भिन्न-भिन्न नाम बदलकर अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है।

आवेदक अभिभाषक ने अपने तर्क में यह भी बताया गया कि आवेदक प्रारंभिक नौकरी के समय कम भूमि होने से भूमिहीन की श्रेणी में आता है। इसके अलावा अन्य कोई भूमि नहीं है। आवेदक का व्यवस्थापन भूमि सर्वे क्रमांक 616 एवं 625/2 पर व्यवस्थापन किया गया है, जो खसरा वर्ष 1981 से 1986 से स्पष्ट है, जबकि सर्वे क्रमांक 608 खसरा वर्ष 1982 से 1987 के कॉलम नम्बर 11 में हनुमान जी का मन्दिर बना हुआ है। उसे आवेदक के स्वामित्व के भाग में गलत बताया जा रहा है, जो खसरे से स्पष्ट है।

आवेदक अभिभाषक ने अपने तर्क में यह भी बताया गया है कि आवेदक के व्यवस्थापन आदेश 29.02.1980 के खिलाफ अनावेदकगण द्वारा 22 वर्ष पश्चात् अवधि वाह्य अपील प्रस्तुत की गयी, जो अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा पारित अपने आदेश में इतनी लम्बी अवधि के सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया और ना ही अभिलेख खसरों का अध्ययन किया, जो रिकॉर्ड से स्पष्ट है। जिसके समर्थन में न्यायदृष्टांत -

2010(3) एम.पी.जे.आर.(एफ.बी.) 347 (उच्च न्याया.) एवं 1975 जे.एल.जे. 155 तथा 1975 एम.पी.एल.जे. 689 तथा 2015 आर.एन. 251 (उच्च न्याया.) 2010 आर.एन. 409 से समर्थित किया एवं अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2016 को निरस्त करने और आवेदक के व्यवस्थापन आदेश दिनांक 29/02/1980 को स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

6- अनावेदकगण अभिभाषक ने अपने तर्क में यह बताया है कि आवेदक को विधि विरूद्ध तरीके से पट्टा दिया गया है, जो स्थल निरीक्षण नहीं कराया गया और आपत्तियाँ आमंत्रित नहीं की गयी। वादग्रस्त भूमि पर हनुमान जी का मन्दिर बना हुआ है। फलदार वृक्ष लगे है और कुंआ खुदा हुआ है। सार्वजनिक मन्दिर रहा है। आवेदक सरकारी नौकरी में है, उसे पात्रता नहीं आती है। पूर्व विवादित भूमि के सम्बन्ध में कोई अपील प्रचलित की गयी है, तो उसकी जानकारी नहीं है। सार्वजनिक हित को देखते हुए पट्टा निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

7- उभयपक्षों के अभिभाषक के तर्कों पर मनन किया, अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। आवेदक द्वारा विधिवत आवेदन पत्र अतिरिक्त तहसीलदार, बल्देवगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया, जो प्रकरण क्रमांक 94/अ-19/1979-80 पर दर्ज किया जाकर इश्तहार जारी किया गया। पटवारी प्रतिवेदन लिया गया। समय सीमा में कोई आपत्ति नहीं आने से दिनांक 29.02.1980 के द्वारा भूमि सर्वे क्रमांक 616 एवं 625/2 कुल रकवा 4.91 एकड़ का व्यवस्थापन किया गया है। पट्टा दिनांक 01.03.80 दिया गया है, जो अभिलेख से प्रकट है। ग्राम करमासनघाट के खसरा वर्ष 1982 से 1987 में हनुमान मन्दिर सर्वे क्रमांक 608 पर बना होना रिकॉर्ड में पाया गया है, जो सर्वे क्रमांक 616 एवं 625/2 पर हनुमान मन्दिर नहीं बना है। अन्य अनावेदक द्वारा पूर्व में जो व्यवस्थापन आदेश दिनांक 29.02.1980 के खिलाफ अनुविभागीय अधिकारी, बल्ददेवगढ़ के समक्ष अपील प्रकरण क्रमांक 10/2011-12 प्रस्तुत की गयी, जिसमें पारित आदेश दिनांक 24.05.2012 के द्वारा अवधि वाह्य

निग0
एल.जे.
उच्च

मानकर निरस्त कर दी गयी है, जिसे अनावेदकगण द्वारा पूर्व की कार्यवाही की जानकारी होने के उपरान्त छुपाते हुए द्वारा से अनुविभागीय अधिकारी, बल्ददेवगढ़ के समक्ष अपील प्रकरण क्रमांक 63/ 2011-12 प्रस्तुत की, जो आदेश दिनांक 06.03.2014 को निरस्त कर दी गयी, जो रेसजुडीकेटा के सिद्धांत के अनुसार पुनः उन्हीं तथ्यों पर विचार योग्य न होने से निरस्त कर दी गयी। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी, बल्ददेवगढ़ के समक्ष प्रस्तुत तीनों अपीलों को निरस्त किया गया है। अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा अपने आदेश में उक्त अंतिम आदेशों के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं दिया है और 22 वर्ष की लम्बी अवधि वाह्य प्रस्तुत अपील के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्यायदृष्टांत - 2010(3) एम.पी.जे.आर.(एफ.बी.) 347 (उच्च न्याया.) एवं 1975 जे.एल.जे. 155 तथा 1975 एम.पी.एल.जे. 689 तथा 2015 आर.एन. 251 (उच्च न्याया.) 2010 आर.एन. 409 से समर्थित किया। उपरोक्त बिन्दुओं पर अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया त्रुटिपूर्ण आदेश दिनांक 16.03.2016 पारित किया, जो निरस्त किया जाता है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2016 निरस्त किया जाता है एवं अतिरिक्त तहसीलदार, बल्देवगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.02.1980 स्थिर रखा जाता है। यह निगरानी स्वीकार की जाती है।

एम.के. सिंह
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर